उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-820/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0 जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(147)-2020
लखनऊः दिनांकः 29 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, पूर्व में जारी अधिसूचना सं.-क0नि0-2-2005/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0 जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(155)-2018 दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को अधिक्रमित करके, एतद्द्वारा, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चवालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(i) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चवालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी। (ii) यह दिनांक 9 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
नियम 89 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 89 में, उपनियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा,अर्थात् :-- "(4ख) जहाँ कर का संदाय किए बिना शून्य दर पूर्तियों के मद्दे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने- (क) ऐसी पूर्तियाँ प्राप्त की हैं, जिन पर पूर्तिकर्ता अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1663/ग्यारह-9(15)/17-उ0प्र0जी.एस.टी.नियमावली-2017-आदेश-(73)-2017 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 की प्रसुविधा का उपभोग किया है; या (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 की प्रसुविधा का उपभोग किया है,

		वहां ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन प्राप्त इनपुटों के संबंध में उपभोग किया गया है और ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका अन्य इनपुटों या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त सीमा तक इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया है, का प्रतिदाय प्रदत्त किया जायेगा ।"
नियम 96 का संशोधन	3	उक्त नियमावली में, नियम 96 में, उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया, अर्थात् :-- "(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय कर दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसी पूर्तियाँ प्राप्त नहीं करनी चाहिये, जिन्होंने- (क) ऐसी पूर्ति प्राप्त की है जिनमें, उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 क0नि0-2-1696/ ग्यारह-9(42)/17 - उ0प्र0 जी.एस.टी.नियम- 2017 -आदेश-(71)-2017 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 का सिवाय उसके, जहां तक उनका संबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या अधिसूचना सं0-क0नि0-2-1663/ग्यारह-9(15)/17-उ0प्र0 जी.एस.टी.नियम-2017-आदेश-(73)-2017दिनांक 16 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के संबंध में पूंजी माल प्राप्त करने से है, के अन्तर्गत प्रसुविधा का उपभोग किया गया है ; या (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के अन्तर्गत प्रसुविधा का उपभोग, सिवाय उसके जहां तक उसका संबंध निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने से है, किया गया है।"

आज्ञा से,

Alokha

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव